

निर्णय

18.3.2025

2025/149

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ



राजेन्द्र आदि

बनाम

चन्द्रावती आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 113 वर्ष 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|-------------|---|---|
| 10.03.2025 | <p>वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18.03.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p> | |
| 18.3.2025 | <p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिलावत पेकी पेक करे पर प्रजावती को पेकी के लिखागामा गुरुलार परिछेन उपस्थित। प्रजावती स.। ने जसिपे वकील सुभाष बिस्नोई उपस्थित आकर रिकार्ड दिका पेरा किंग जिसे शामिल कारील क्रिया गणा प्रजावती वास्ते स्टेट जजफ अर्किडा लगीक 18.3.2025 को पेरा हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p> |  <p>प. 319ती</p> <p>विनाईकुमार</p> <p>राजेन्द्र कुमार</p> <p>18.3.2025</p> |
| 18.3.2025 | <p>गुरुलार परिछेन उपस्थित। स्टेट जजफ ग्राह उका / बहस सुनी गई। प्रजावती का अवलोकन क्रिया गमा। प्रजावती पर उपलब्ध रिपोर्ट-आदि व वादी प्रजावती की सहमति के आधार पर बाद वादी रिडी क्रिया जहा है। पूर्वी विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया साकर शामिल कारील क्रिया जखे। प्रजावती नक्कर से काम की जाकर आउ तरीक लकमीर जाहा दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">~</p> |  |